ब

बनवारी लाल ना श्रेष्ठ - सोहनलाल

म

मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 RTA

किस्म मुकदमा मु. माल 165/2018 15ML

हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ
यह प्रा. पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री तेजा सिंह Adv के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 4.6.18 को पेश हो। मूलवाद मे अप्रार्थी सं० (2) की ओर से श्री सुरेश अरोड़ा Adv ने वकालतनामा पेश किया है। उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर	854
4-6-18 वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन तलबी होकर प्राप्त नही हुआ पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी दिनांक 8-8-18 को पेश हो।	
27-7-18 पत्रावली मूल वाद संख्या 77/2018 के निस्तारण होने के कारण पेशी मे ली गई पत्रावली का अवलोकन किया मूल वाद वादीगण द्वारा विड्रा किया जा चुका है। अतः मूल वाद विड्रा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 RTA को भी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर मूल वाद के संलग्न हो। (सौरभ स्वामी) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर	